प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16—08—2019

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा ग्राम शेरपुर में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तारः—

अवगत कराना है कि दिनांक 20—06—2019 को समय करीब 09.00 बजे रात्रि में ग्राम शेरपुर में सुरजीत पुत्र सुखपाल निवासी शेरपुर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर ने अपनी पत्नी प्रतिमा का गला दबाकर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में मृतका के भाई महेश कुमार पुत्र मुवासीराम निवासी ग्राम बहादराहाद जनपद हरि्द्वार की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 138/2019 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना बिहारीगढ पुलिस को निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 16—08—2019 को अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम शेरपुर के बाग के पास से उक्त घटना को कारित करने वाला अभि0 सुरजीत पुत्र सुखपाल निवासी शेरपुर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस सहित समय 10.50 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 140/19 धारा 3/15 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः—

1—सुरजीत पुत्र सुखपाल निवासी शेरपुर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः—

1— 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस।

पूछताछ का विवरणः—

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि मै शराब पीने का आदी हूँ। मुझे मेरी पत्नी शराब पीने से मना करती थी। जिसके चलते मेरा व मेरी पत्नी का आयदिन झगड़ा होता था। दिनांक 20—06—2019 की रात्रि में भी हम दोनो का इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था तो मैने अपनी पत्नी को तमंचा से डराकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः—

1—श्री संजीव कुमार थानाध्यक्ष बिहारीगढ, सहारनपुर।
2—व0उ0नि0 श्री बी0के0 शर्मा थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
3—उ0नि0 श्री सोहनपाल गिरि थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
4—का0 1027 भूदेव खोखर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
5—का0 1510 सुनील कुमार थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16–08–2019

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस ने ड्यूटी और फर्ज के साथ मानवता की मिशाल पेश कीः–

दिनांक 15–08–2019 को समय करीब 09.30 बजे रात्रि में सहारनपुर से सोनीपत जा रहे यात्रियों की कार नं0–एचआर 26 वाई–7057 देर रात्रि निर्जन स्थान खटकाहेडी के पास टायर पंचर हो जाने के कारण सडक पर यात्री मदद की गुहार लगा रहे थे, कि रात्रि गस्त/चेकिंग कर रही रामपुर मनिहारन पुलिस को जैसी ही सडक पर खडे हुए यात्रियों को देखा तो पुलिस ने गाडी रोककर सबसे पहले उनकी कुशलता पूछते हुये सड़क पर खड़े होने का कारण पूछा तो यात्रियों द्वारा पुलिस को बताया गया कि उनकी कार का टायर पंचर हो गया है। जिस पर थाना प्रभारी समरजीत सिंह, उ0नि0 आशीष शर्मा, का0 सचिन शर्मा व होमगार्ड बाबूराम द्वारा बिना किसी देरी के तत्काल उनकी गाडी का पहिया बदल कर यात्रियों को सकुशल गंतव्य के लिये रवाना किया। देर रात्रि में सहारनपुर पुलिस की तत्काल मदद मिलने पर यात्रियों ने सहारनपुर पुलिस की भूरि–भूरि प्रशंसा की और धन्यवाद अदा किया।

प्रेस नोट

थाना नकुड पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 15.08.19 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है |

1. अभियुक्तमोहित कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को **ग्राम नवाजपुर की तरफ भट्टे पर बने कमरे के पश्चिमी कोने** से 03 ग्रा0 स्मैक के साथ रात्रि मे समय 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया है , जिस के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु 0अ0सं0 303/19 धारा 8/21 NDPS ACT दिनांक 15.08.19 को ही पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया है |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 उ0नि0 श्री दिनेश कुमार चौकी प्रभारी अम्बैहटापीर थाना नकुड सहारनपुर

2 का0 218 पुनित कुमार थाना नकुड सहारनपुर

3 का0 1467 निशान्त कुमार थाना नकुड सहारनपुर

प्रेस नोट

थाना नकुड पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16.8.19 को एक वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है |

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार मय हमराही का0 804 शहजाद अली द्वारा अभि0 सुरेश पाल पुत्र नवाब सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर वाद सं0 900/16 धारा 138 NI ACT मे वाँछित चल रहा था अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है |